प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर दिनांक 06.07.19 को जब वादीगण अपने खेत की सफाई कर रहे थे। तब आकर मॉ –वहन की फोश भद्दी गालीयां दी तथा कहा की इस भूमि को अब काश्त मत करना इसे हम काश्त करेगें। तुम गरीब आदमी हो चाहो तो हम तुम्हे इस जमीन के पैसे दे देगें। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है। तथा वादीगण को जबरन वादी की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नही है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाया जावे की वे वादीगण को उनके खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 125 ,126,127व 128 ग्राम बाढभांवता के उपयोग व उपभोग तथा कब्जे काश्त में बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही दुसरे से करवाये । न ही भूमि में जबरन प्रवेश करे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया । वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रर्दश–1 नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पेश की है जिसमें विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सा 1/2 , 1/2 दर्ज है। वादी ने मौखिक साक्ष्य के रुप में गवाह पी.डब्लू–1 छुट्टन , पी.डब्लू–2 संपत व पी.डब्लू–3 कैलाश के बयान दर्ज कराये है। जिसमें गवाहान ने वादीगण के दावे की पुष्टि की है। जबकि प्रतिवादीगण को जबाबदेही का पर्याप्त अवसर मिलने के पश्चात् भी प्रकरण में कोई जबाबदेही पेश नही की तथा अन्त में न्यायालय से अनुपस्थित रहे। इसलिए वादीगण के वादपत्र की पुष्टि होने के कारण दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह विवादित भूमि खसरा नं0 125 रकबा 0.46 है0, 126 रकबा 0.27 है0 , 127 रकबा 0.15 है0, 128 रकबा 0.27 है0 कुल रकबा 1.15 है0 ग्राम बाढ भांवता तहसील गंगापुर सिटी के उपयोग–उपभोग व कब्जेकाश्त में वादीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

(अनिल कुमार चौधरी)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट **मुकाम** गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

1 गूजरमल पुत्र लहरा | जाति गूर्जर निवासी बाढ भांवता
2 छुट्टन पुत्र लहरा | तहसील गंगापुर सिटी।

-- वादीगण--

1 रामरुप पुत्र काडया उम्र 57 साल
2 भीमसिंह पुत्र रामरूप उम्र 47 साल
3 जवानसिहं पुत्र रामरुप उम्र 32 साल
4 दरबसिंह पुत्र रामरूप उम्र 25 साल
5 पदमसिंह पुत्र रामरूप उम्र 28 साल
6 कमोदी पुत्र काडया उम्र 55 साल
7 मन्नोदेवी पत्नि रामरूप उम्र 55 साल
8 लौटन्ती पत्नि भीमसिंह उम्र 35 साल
9 मुनेशी पत्नि जवानसिंह उम्र 30 साल
10 छोटी पत्नि दरबसिंह उम्र 22 साल

जाति- गुर्जर
निवारी - वाढ भांवता
तहसील- गंगापुर सिटी

-- प्रतिवादीगण --

दावा बावत - स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. - 51/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री कोई उपस्थित नही एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह विवादित भूमि खसरा नं0 125 रकबा 0.46 है0, 126 रकबा 0.27 है0, 127 रकबा 0.15 है0, 128 रकबा 0.27 है0 कुल रकबा 1.15 है0 ग्राम बाढ भांवता तहसील गंगापुर सिटी के उपयोग-उपभोग व कब्जेकाश्त में वादीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक19.07.202 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

अनिल कुमार चौधरी)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार चौधरी, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
51 / 2020	26.11.2020	19.07.2021

उनवान

1. गूजरमल पुत्र लहरा 2. छुट्टन पुत्र लहरा	जाति गूर्जर निवासी बाढ भांवता तहसील गंगापुर सिटी।

–– वादीगण––

1. रामरुप पुत्र काडया उम्र 57 साल 2. भीमसिंह पुत्र रामरूप उम्र 47 साल 3. जवानसिहं पुत्र रामरूप उम्र 32 साल 4. दरबसिंह पुत्र रामरूप उम्र 25 साल 5. पदमसिंह पुत्र रामरूप उम्र 28 साल 6. कमोदी पुत्र काडया उम्र 55 साल 7. मन्नोदेवी पत्नि रामरूप उम्र 55 साल 8. लौटन्ती पत्नि भीमसिंह उम्र 35 साल 9. मुनेशी पत्नि जवानसिंह उम्र 30 साल 10. छोटी पत्नि दरबसिंह उम्र 22 साल	जाति– गुर्जर निवासी – वाढ भांवता तहसील– गंगापुर सिटी

–– प्रतिवादीगण ––

उपस्थितः– 1. वादीगण की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा एड0
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही ।

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0 नं0 125 रकबा 0.46 हेक्टर, ख0 नं0 126 रकबा 0.27 हेक्टर, ख0 नं0 127 रकबा 0.15 हेक्टर, ख0 नं0 128 रकबा 0.27 हेक्टर, कुल रकबा 1.15 हेक्टर ग्राम बाढ भावता तहसील गंगापुर सिटी वादी व उसके भाई गुजरमल की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। जिससे सायल व उसका भाई लांभावित होते चले आ रहे है। उक्त भूमि से किसी दीगर व्यक्ति का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। प्रति[illegible] व्यक्ति है तथा वादीगण की कमजोर व गरीब स्थिती का फायदा उठाने की [illegible] वह इस भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है। वादीगण की [illegible] नीची हैं तथा समतल नही है। वादीगण द्वारा कुछ भूमि को सुधार कर [illegible] परन्तु पैसो के अभाव में व कमजोर पारिवारिक स्थिति के [illegible]पूर्ण भूमि को समतल नही कर पाये है । तथा उंची नीची भूमि होने के कारण वादीगण उक्त सम्पूर्ण भूमि को समतल नही कर पाये है उक्त भूमि मे केवल बरसाती फसल ही पैदा हो पाती है। वादीगण की गरीब स्थिती

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को देखकर प्रतिवादीगण वादीगण पर उक्त भूमि उन्हे विक्रय करने का दवाव बनाते है तथा विक्रय नही करने की स्थिती में भूमि पर काश्त नही करने की धमकी देते है। वादीगण की उक्त भूमि में पिछले कुछ समय से पेसे के अभाव में कोई काश्त नही कर सके। जिससे उसमे बबूल के पेड व अनय छोटे – मोटे पेड उग रहे है। इस वर्ष जैसे ही बारिश हुयी तो वादीगण भूमि पर काश्त करने हेतु उसकी साफ सफाई करने तथा उस पर खडे छोटे मोटे झाड व पेडो को हटाने दि0 06.07.19 को गये तथा जब खेत की सफाई कर रहे थे तो अचानक वहां सभी प्रतिवादीगण एकराय होकर आ गये तथा वादीगण को मॉ – बहिन की भद्दी गालियां देकर कहने लगे कि तूम इस भूमि पर काश्त मत करो। इस भूमि को हम काश्त करेगे। भूमि की खातेदारी तुम्हारे नाम हैं। इसलिये तुम इसे हमें बेच दो तथा अपना गूजर बसर करो, खेती करना तुम्हारे बस की बात नही है। खेती के लिये पहले इस भूमि को समतल करना पउेगा तथा तभी खेती हो सकेगी, तुम गरीब आदमी हो, इसलिये लाखो रूपया तुम इसमें नही लगा सकते, तुम इस भूमि को हमे बेच दो, हम तुम्हे अच्छा पैसा देगे, जिससे अपना घर चलाओ, अगर तुम इसे हमे नी बेचोगी तो भी तुम्हें इस भूमि को काश्त नही करने देगे। हम इसे जबरन जोत देंगे। तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते, इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से हाथ जोडकर कहा कि भाईयो हम गरीब आदमी है तथा हम किसी तरह बडी मुश्किल से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है तथा इस वर्ष कुछ पैसे जुटााकर इस भूमि को काश्त करने के लिये बीज खरीदकर लाये है। हमें क्यो परेशान करते हो। तो प्रतिवादीगण कहने लगे कि बीज के पैसे ले लो और यहां से चले जाओ और यदि तुमने इस भूमि को काश्त किया तो हमसे बुरा कोई नही होगा, हम आदमी वाले व पेसे वाले है तुम्हे झूठे मुकदमें में फंसवा देगें।
प्रतिवादीगण को जब तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जावेगा वह अपनी गलत हरकतो से बाज नही आवेगा इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण को उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन न तो स्वंय करें न अन्य से करावे। वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि में जबरन प्रवेश न तो स्वंय करें न अन्य को करावे । दिनांक 06.07.19 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को खेतो की साफ सफाई करने से रोकने तथा जबरन भूमि को उन्हे विक्रय करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर दिनांक 27.08.19 को प्रतिवादी संख्या 1लगायत 3 की ओर से श्री मो0 इस्लाम एडवोकेट ने दिनांक 28.11.2019 वकालतनामा पेश कर जबाब को समय चाहा तथा अन्य प्रतिवादीगण 4 ता 10 की ओर से श्री मो0 इस्लाम एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादीगण की ओर से जबाब को समय चाहा पत्रावली वास्ते जबाब लगातार दिनांक
10.11.2020 तक तारीख पेशी चलती रही परन्तु दिनांक 10.11.2020 को प्रतिवादीगण एवं उनके वकील के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तथा पत्रावली में वास्ते साक्ष्यवादी तारीख पेशी नियत की गई । दिनांक 26.02.21 को वादी ने गवाह पी.डब्ल्यू–1 छुट्टन [illegible]–2 सम्पत , पी.डब्ल्यू–3 कैलाश माली के वयान दर्ज कराये एवं [illegible] तथा पत्रावली वास्ते बहस तारीख पेशी नियत कि गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.12.13 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादीगण सुनी गई। व[illegible] वादीगण ने अपने वाद के अनुरुप बहस करते हुए विवादित भूमि को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि होना बताया एवं

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Scanned with CamScanner